न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 79 / 2023

1 अमर सिंह पुत्र फुलचन्द जाति जाट निवासी मीलो का बास तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला
झुन्झुनूं।
2 समदर सिंह पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी मीलो का बास तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 राजेश कुमार
2 गिरधारी
3 रामचन्द्र
4 बनवारी
5 ओमप्रकाश
6 महेन्द्र
7 जगदीश प्रसाद पुत्रगण राजुराम जाति जाट निवासी मीलो का बास तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
8 प्रमिला
9 संतोष पुत्रिया राजूराम
10 हरकौरी स्त्री राजुराम जाति जाट निवासी मीलो का बास तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

11 नानची स्त्री फुलचन्द
12 शिवचन्द पुत्र फुलचन्द
13 सुरेन्द्र सिंह पुत्र फुलचन्द
14 सुमन पुत्री फुलचन्द
15 शांति स्त्री कुशलाराम
16 सुभाष
17 भागचन्द

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

18 सन्तकुमार
19 हेतराम
20 महेन्द्र सिंह पुत्रगण कुशलाराम
21 संतोष स्त्री कुशलाराम
22 परमेश्वरी पुत्री लखुराम समस्त जाति जाट निवासी मीलो का बास तन बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
23 तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
24 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 31.08.2023 बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा उनवानी राजेश कुमार वगै. बनाम भूमिधारक राजस्थान सरकार मु.नं. 08/2017 जीसीएमएस 2022/392 प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्रीमती मीना कुमारी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 15/7/25

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2017 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 10 ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व कटाण का रास्ता दर्ज करवाने बाबत भूमि खसरा नम्बर 105, 170, 181, 180, 169 वाके ग्राम मीलो का बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 180 रकबा 1.36 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम मीलो का बास पटवार हल्का बड़वासी तहत तहसील नवलगढ़ में स्थित है। जमीन हाल खसरा नम्बर 180 के सहखातेदार अपीलान्ट एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट नम्बर 11 से 22 है। जमीन हाल खसरा नम्बर 180 के दक्षिण दिशा में जमीन हाल खसरा नम्बर 181 रकबा 1.29 हैक्टेयर वाके ग्राम मीलो का बास तहत तहसील नवलगढ़ में स्थित है। जमीन हाल खसरा नम्बर 181 रकबा 1.29 हैक्टैयर के खातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 10 है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 10 ने विचारण न्यायालय के समक्ष कटानी रास्ता के लिए धारा 251 ए आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेशकर यह अनुतोष चाहा की जमीन हाल खसरा नम्बर 181 वाके मीलो का बास में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 180 की पूर्वी सीमा के पास से 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किया जावें। विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.08.2018 को मौके की रिपोर्ट बाबत तहसीलदार को आदेश दिये है। पत्रावली की आदेशिका में तहसीलदार को तहरीर जारी होने के डिस्पेच नम्बर नहीं है। आदेश दिनांक 23.08.2018 के मुताबिक मौका रिपोर्ट के लिए विचारण न्यायालय ने तहसीलदार को आदेश दिया था। मौका रिपोर्ट दिनांक 11.10.2018 भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर तैयार की गई है। कानून से तहसीलदार को ही मौके पर जाकर पक्षकार को सूचित कर उभयपक्ष पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी। कानून से तहसीलदार प्रत्यायोजित शक्ति का आगे प्रत्यायोजन नही कर सकता। भू–अभिलेख निरीक्षक को मौका रिपोर्ट तैयार करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में पक्षकारान

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को नोटिस देकर तैयार नहीं की गई। मौका रिपोर्ट धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की वास्तविक मंशा के विपरित है। कानून से धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निकटतम दूरी का रास्ता ही दिये जाने का प्रावधान है चाहे वह रास्ता कितना भी कष्टदायक हो। धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम में सुविधाजनक रास्ता नहीं दिया जा सकता। मौका रिपोर्ट दिनांक 11.10.2018 में मांग किए गये रास्ता खसरा नम्बर 180 में बिन्दु ए से बी की लम्बाई 127.30 मीटर लम्बी बताई है जबकि खसरा नम्बर 181 के लिए दुसरे रास्ता जो खसरा नम्बर 169 में से खसरा नम्बर 181 के लिए रास्ते की दूरी सिर्फ 54 मीटर बताई है खसरा नम्बर 170 के खातेदार भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 10 है। खसरा नम्बर 170 के लिए खसरा नम्बर 169 में से रास्ते की दुरी मात्र 15 मीटर है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट को विचाराधीन निर्णय पारित करने में नजर अंदाज किया है। खसरा नम्बर 180 में से रास्ता देने का कोई आधार नहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में अपीलान्टस की जवाब देही को नजर अंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस में खसरा नम्बर 180 में से रास्ता देने का कोई ठोस कानूनी आधार दर्ज नहीं किया। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट में आवेदक पक्ष के तथ्य लिखे है। शमशान बाबत तथ्य क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर लिखे है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता देने के लिए शमशान को आधार नहीं बनाया जा सकता। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा अपने प्रा.पत्र में खसरा नम्बर 180 रकबा 1.36 हैक्टेयर की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता चाहा है। तहसीलदर नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपार्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 180, 181 के खातेदार एक ही काबिले/खानदान से ताल्लूक रखते है इसलिये आवेदकगण को खसरा नम्बर 169 में से गुजरने वाले डबल डोटेड कदीमी रास्ते के बजाय खसरा नम्बर 180 तक आने वाला लिंक रास्ता जो कि कटाणशुदा है तथा ग्राम मीलों का बास के लिये नियरेस्ट व सोरटेस्ट भी

अनिल कुमार IIRAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन न्यायालय अपील अधिकारी
सीकर (अस्थाई झुन्झुनूं)

है से ही रास्ता दिया जाना ज्यादा उपयुक्त होगा। रास्ते की श्रेणी में कटाणशुदा रास्ता लिंक रास्ते के लिए डबल डोटेड के बजाय ज्यादा प्राथमिकता रखता है तथा बेहतर भी है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना सुनिश्चित कर निकटतम दूरी का रास्ता प्रदान करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा अपने प्रा.पत्र में खसरा नम्बर 180 रकबा 1.36 हैक्टेयर की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता चाहा है। तहसीलदर नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपार्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 180, 181 के खातेदार एक ही काबिले/खानदान से ताल्लूक रखते है इसलिये आवेदकगण को खसरा नम्बर 169 में से गुजरने वाले डबल डोटेड कदीमी रास्ते के बजाय खसरा नम्बर 180 तक आने वाला लिंक रास्ता जो कि कटाणशुदा है तथा ग्राम मीलों का बास के लिये नियरेस्ट व सोरटेस्ट भी है से ही रास्ता दिया जाना ज्यादा उपयुक्त होगा। रास्ते की श्रेणी में कटाणशुदा रास्ता लिंक रास्ते के लिए डबल डोटेड के बजाय ज्यादा प्राथमिकता रखता है तथा बेहतर भी है।

विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना सुनिश्चित कर निकटतम दूरी का रास्ता प्रदान करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)